



बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाय्ज कॉर्पोरेशन लि०,  
 "खाद्य भवन", दारोगा प्रसाद राय पथ, आर० ब्लॉक, रोड नं०-२, पटना-८००००१

कार्यालय आदेश।

खरीफ विपणन वर्ष २०१६-१७ अन्तर्गत विकेन्दीकृत अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत सी०एम०आर० गोदाम में पदस्थापन हेतु सहायक प्रबंधक के पद को भरने के लिए राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, राज्य/केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों/निगमों/बोर्डों/निकायों के तृतीय श्रेणी के पर्यवेक्षकीय पद से सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा पर नियोजन हेतु विभिन्न शर्तों पर उनसे आवेदन पत्र की मांग की गयी थी।

प्राप्त आवेदन पत्रों तथा अहर्ता पूरे करने वाले निम्नवत् सेवानिवृत्त कर्मियों को Walk-in-Interview के माध्यम से चयन किया गया है। इनकी नियुक्ति संविदा पर की जाती है, जो दिनांक ३१.०७.१७ तक मान्य होगा।

क्र० सं०	संविदा पर चयनित कर्मियों का नाम	आवेदक का मूल विभाग	गृह जिला	जिलान्तर्गत सी०एम०आर० गोदाम के लिए।
1	मो० रजि अहमद	राज्य खाद्य निगम	पूर्णियाँ	भागलपुर
2	श्री तेज नारायण सिंह	विस्कोमान	अररिया	मुंगेर
3	श्री शशिकान्त प्रसाद	विस्कोमान	दरभंगा	भोजपुर
4	श्री जय नारायण सिंह	आर्मी मेडिकल कोर	पटना	बेतिया
5	श्री भरत जी तिवारी	भूमि विकास बैंक	बक्सर	नालन्दा
6	श्री महेन्द्र प्रसाद	अंकेक्षण एवं वित्त विभाग	पटना	बेगूसराय
7	श्री संजीव कुमार	आर्मी	खगड़िया	औरंगाबाद
8	श्री दयानन्द जयसवाल	विस्कोमान	पूर्णियाँ	गया
9	श्री दिलीप कुमार सिंह	वित्त एवं अंकेक्षण	नवादा	छपरा
10	श्री हीरा चौधरी	बिहार राज्य निर्माण विभाग	नालन्दा	गोपालगंज
11	श्री शिव प्रसाद	विस्कोमान	रोहतास	बाँका
12	श्री सुरेन्द्र कुमार	सोन कमाउ क्षेत्र विकास एजेन्सी	पटना	सुपौल
13	श्री केशव प्रसाद	पुलिस विभाग	नालन्दा	मधेपुरा
14	श्री सत्य नारायण प्रसाद	ए०जी० बिहार	पटना	दरभंगा
15	श्री विपिन कुमार सिंह	रक्षा मंत्रालय	नालन्दा	मोतिहारी
16	श्री इन्द्रदेव प्रसाद सिन्हा	वित्त एवं अंकेक्षण	नालन्दा	सीतामढ़ी
17	श्री राम प्रसाद राउत	भूमि विकास बैंक	मधुबनी	नवादा
18	श्री सुमन कुमार सिन्हा	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	पटना	अररिया
19	श्री विनोद कुमार सिंह	विस्कोमान	रोहतास	मधुबनी
20	श्री अशोक भगत	बैंक	दरभंगा	कैमूर
21	श्री ज्योति भूषण प्रसाद	जल संसाधन विभाग	पटना	सिवान

22	मो० जुबैर	बैंक	पटना	सहरसा
23	मो० सैयद युसुफ हुसैन	वित्त एवं अंकेक्षण	पटना	जमुई
24	श्री सतीश कुमार लाल दास	शिक्षा विभाग	दरभंगा	नवादा
25	श्री अफताब अहमद	बिहार स्टेट हॉर्डिंग कॉरपोरेशन	पटना	दरभंगा
26	श्री सुनिल कुमार झा	भूमि विकास बैंक	दरभंगा	जमुई
27	श्री छोटे लाल यादव	बिहार राज्य पंचायती विभाग	पटना	गोपालगंज
28	श्री अशोक कुमार प्रसाद सिंह	जल संसाधन विभाग	नालन्दा	पूर्णिया
29	श्री विमल चन्द्र झा	चीनी निगम	मधुबनी	नालन्दा
30	श्री श्याम नन्दन प्रसाद सिन्हा	राज्य खाद्य निगम	पटना	सारण
31	श्री विश्वनाथ सिंह	वित्त एवं अंकेक्षण	समस्तीपुर	गया
32	श्री महादेव प्रसाद दिनकर	कृषि विभाग	पूर्णिया	बक्सर
33	श्री सिद्धेश्वर मोची	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	पटना	बेतिया
34	श्री रविशंकर प्रसाद	आई०टी०डी०सी०	सीतामढ़ी	नालन्दा
35	श्री कुमार कौशल किशोर शर्मा	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम	भागलपुर	रोहतास
36	श्री राजेन्द्र झा	भूमि विकास बैंक	मधुबनी	अरवल
37	श्री भूषण कुमार सिंह	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	पटना	बाँका
38	श्री ओंकार नाथ सिंह	भूमि विकास बैंक	बाँका	दरभंगा
39	श्री इन्द्रभूषण मिश्रा	भूमि विकास बैंक	दरभंगा	नालन्दा
40	श्री महेन्द्र मिश्रा	भारतीय खाद्य निगम	रोहतास	मुजफ्फरपुर
41	श्री राज किशोर सिंह	भूमि विकास बैंक	भोजपुर	सीतामढ़ी
42	श्री सदन प्रसाद सिंह	पंजाब नैशनल बैंक	नालन्दा	सहरसा
43	श्री कपिलदेव प्रसाद यादव	वित्त एवं अंकेक्षण	भागलपुर	औरंगाबाद
44	श्री दयानन्द सिंह	भूमि विकास बैंक	भोजपुर	जमुई
45	श्री शंकर प्रसाद सिंह	भूमि विकास बैंक	सीतामढ़ी	शेखपुरा
46	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह	आर्मी	पटना	वैशाली
47	श्री कृष्णदेव प्रसाद	राज्य खाद्य निगम	पटना	किशनगंज
48	श्री वृजनन्दन शर्मा	राज्य खाद्य निगम	नालन्दा	सिवान
49	श्री कन्हैया प्रसाद	राज्य खाद्य निगम	पटना	वैशाली
50	श्री विजय नारायण झा	भूमि विकास बैंक	मधुबनी	कैमूर
51	श्री राम पूजन सिंह	भूमि विकास बैंक	रोहतास	लखीसराय
52	श्री जितेन्द्र प्रसाद	भूमि विकास बैंक	बक्सर	लखीसराय
53	श्री बैजनाथ प्रसाद	शिक्षा विभाग	गया	पटना
54	श्री विजय कुमार	भारतीय खाद्य निगम	नालन्दा	खगड़िया
55	श्री राज कुमार प्रसाद-2	शिक्षा विभाग	गया	बेगूसराय

1. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक 22.11.16 के पूर्वहन् में बिहार राज्य खाद्य निगम, खाद्य भवन, निगम मुख्यालय, पटना में योगदान करेंगे तथा उसी तिथि को अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण भी दी जायेगी।
2. अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये कोई भी कागजातों में गड़बड़ी पायी जाती है तो संबंधित अभ्यर्थियों की सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।
3. दिनांक 22.11.16 को प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त होते ही दो दिनों के अन्दर अपना पदस्थापन जिला में जिला प्रबंधक कार्यालय में योगदान करेंगे, इसके लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी, वही मानदेय के रूप में देय होगा।
5. इनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और कार्य कलाप संतोषप्रद नहीं रहने अथवा क्षति/गबन पाये जाने पर इन्हें कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।
6. संविदा पर- कार्यरत ऐसे किसी कर्मों के विरुद्ध अनुशासनिक/अपराधिक मामला, क्षति/गबन का मामला पाये जाने पर उनकी संविदा बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।
7. इनके द्वारा "बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम" के अन्तर्गत एकरारनामा किया जाना अनिवार्य होगा।
8. इनके द्वारा की गयी क्षति/गबन की राशि की वसूली उनके मानदेय से की जायेगी मानदेय से वसूली संभव नहीं होने की स्थिति में "बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम" के सुसंगत प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।
9. संविदा पर निगम की सेवा छोड़ने के पूर्व निगम को एक माह का अग्रिम नोटिस दिया जाना अनिवार्य होगा। नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में उन्हें निगम को एक माह का मानदेय एक मुश्त भुगतान करना होगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में वह राशि "बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम" के सुसंगत प्रावधानों के अधीन वसूलनीय होगी।


प्रबंध निदेशक के आदेश से।

ह0/-  
प्रमुख प्रशासन।

ज्ञापंक-3:02:173:01:16- 13645 दिनांक- 18/11/16

प्रतिलिपि:- सभी प्रमुख/सभी प्रभारी उप प्रमुख/गोपनीय शाखा, मुख्यालय/सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार एवं संबंधित सभी कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी नियंत्रण कक्ष को निदेशित है कि इसे निगम के वेबसाईट पर लोड करना सुनिश्चित करें, ताकि सफल अभ्यर्थियों तक सूचना प्राप्त हो सकें।

  
प्रमुख प्रशासन।  
